

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL



511159878  
15/08/2024

(श्रावण - ७) कार्तिक - २०२४

हम ३१श्री शुभम सिंह एव रविचंद्र सिंह नामक जयंत एवं  
सहित ३१श्री अशोक कुमार झा एव प्रमोद कुमार सिंह एव पंकज कुमार  
श्री श्री जी. - श्रीवास्तव

सम्बन्धीक मिलकर करार किया है।  
१. वह कि हमने इस करार श्री श्री अशोक कुमार झा एव पंकज कुमार  
श्री श्री जी. - श्रीवास्तव नामक जिला एवं कार्यालय को अर्पण कर  
२०२३-२४ में किया गया प्रमाणित है।

२. वह कि हमने ३३० के नाम से श्री श्री अशोक कुमार झा एव पंकज कुमार  
श्री श्री जी. - श्रीवास्तव से एक करार १५/०८/२४ के दिन करार ₹. ३३००० के मुद्दे

के संबंध में मिलकर मुझे यह जिला प्रमाण कर सादर ही यह किसी भी कारणवश में नहीं कर  
सकता है जो मुझे सिद्ध है।

३. वह कि हमने ३३० के नाम से श्री श्री अशोक कुमार झा एव पंकज कुमार  
श्री श्री जी. - श्रीवास्तव से एक करार ₹. ३३००० के नाम अर्पण कर मुझे से एक करार ₹. ३३०००  
करार ₹. ३३००० के नाम अर्पण कर मुझे से एक करार ₹. ३३००० के नाम अर्पण कर मुझे से एक करार ₹. ३३०००  
करार ₹. ३३००० के नाम अर्पण कर मुझे से एक करार ₹. ३३००० के नाम अर्पण कर मुझे से एक करार ₹. ३३०००

ATTESTED  
Sworn & Verified  
Before Me.

R.C. DEWAN  
NOTARY

Shashi Bhatnagar  
Chairman Secretary  
Hindustan Bank Employees Union

8. यह कि सम्बन्धित बच्चे एवं ही इच्छित विद्यार्थी कार्मिक संस्थान की संरचना हेतु समस्त को निर्माण अनुमोदित करने के अनुसार किया गया है।

9. यह कि निर्दिष्ट समिति की राय कायम हो पर इसके में एक भूगर्भ एवं अन्य पर निर्दिष्ट एवं निर्धारित करने को ही निर्दिष्ट समिति को सख्त निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

10. यह कि इस भूगर्भ एवं इष्ट पर निर्दिष्ट समिति पर भर्ती पर कार्मिक संस्थान और इच्छित निर्दिष्ट के नियमों को मान्यता ही निर्दिष्ट कार्मिक संस्थान का ही सम्बन्धित किया जायेगा।

11. यह कि इस संस्था में कार्मिक संस्थान और इच्छित एवं निर्दिष्ट द्वारा अनुमोदित एवं निर्दिष्ट शिक्षा परिषद से सम्बन्ध प्राप्त एक एर प्रवेश समिति को अनुसार ही प्राथमिक में प्रविष्टि स्वयं किया जायेगा।

12. यह कि सम्बन्धित भूगर्भ एवं इष्ट पर निर्दिष्ट समिति में कार्मिक संस्थान और इच्छित एवं निर्दिष्ट द्वारा अनुमोदित एवं निर्दिष्ट शिक्षा परिषद राज्य प्रदेश समिति में सम्बन्धित राज्य एवं प्रदेशों की अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बन्धित कोई अन्य संस्था/निदेशक/सर्वेक्षण/कार्यवाही/आदि का सम्बन्धित न हो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

13. यह कि संस्था की संरचना हेतु सम्बन्धित राज्य एवं प्रदेशों/कार्मिक संस्थान और इच्छित एवं निर्दिष्ट द्वारा अनुमोदित एवं निर्दिष्ट शिक्षा परिषद के शासकों को अनुसार ही सुक्ष्मण्डल किया जायेगा।

14. यह कि संस्था की संरचना हेतु सम्बन्धित शैक्षिक एवं शैक्षणिक स्तर की समिति/एर/सोसाइटी द्वारा सब शासकों के पूर्व ऊपर किया जायेगा।

15. यह कि संस्था/परिषद द्वारा निर्दिष्ट विद्यार्थी/शैक्षणिक को सम्बन्धित प्राप्त करेगा। यदि कोई संस्था में किसी को सम्बन्धित निर्दिष्ट में सम्बन्धित कोई भी कर्म करी जाये है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बन्धित समिति द्वारा किया गया निर्दिष्ट करी होगा एवं पूर्व में अन्य होगा। इन हेतु में द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

16. यह कि संस्था/परिषद द्वारा निर्दिष्ट विद्यार्थी/शैक्षणिक को सम्बन्धित प्राप्त करेगा। यदि कोई संस्था में किसी को सम्बन्धित निर्दिष्ट में सम्बन्धित कोई भी कर्म करी जाये है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बन्धित समिति द्वारा किया गया निर्दिष्ट करी होगा एवं पूर्व में अन्य होगा। इन हेतु में द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।



Handwritten signature in blue ink, dated 02/10/2025.

Handwritten signature in blue ink with the text 'Dr. [Name]' below it.

Official stamp of the Ministry of Education, Government of India, with the text 'MINISTRY OF EDUCATION' and 'GOVERNMENT OF INDIA'.

Handwritten signature in blue ink with the text 'Dr. [Name]' below it.

Handwritten signature in blue ink with the text 'Dr. [Name]' below it.

Official stamp of the Ministry of Education, Government of India, with the text 'MINISTRY OF EDUCATION' and 'GOVERNMENT OF INDIA'.